न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 100/2021

1 मोहसीन पुत्र युसुफ जाति मुसलमान धोबी निवासी राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नानची देवी पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी पुजारी की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 छीतरमल पुत्र धन्नाराम।
3 रामलाल पुत्र रामेश्वरलाल समस्त जाति माली निवासीगण बागोरियां की ढ़ाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ ज़िला झुंझुनू।
4 भूमिधारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नवलगढ़ मुकदमा संख्या 144/2017 बउनवानी मोहसीन बनाम नानची देवी आदि निर्णय दिनांक 06.10.2021

उपस्थिति :

1. श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज सिंगोदिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 08.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 144/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से ग्राम बागोरियों की ढ़ाणी की भूमि खसरा नम्बर 2043/295,2046/301 बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है। इस वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कर दी है। इसके कारण रेस्पोडेंट्स मौके की सूरत बदलने पर आमादा है एवं सड़क से लगती भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त कर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी किया जावें। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में दिनांक 30.09.2021 को उभयपक्ष की सहमती से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है चूकिं विभाजन की डिक्री सहमतीं से जारी की गई है। अत अस्थाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

निषेधाज्ञा जारी रखने का कोई औचित्य नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का समुचित कारण अंकित नही किया गया है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में दिनांक 30.09.2021 को उभयपक्ष की सहमती से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है चूकिं विभाजन की डिक्री सहमती से जारी की गई है। अत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने का कोई औचित्य नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का समुचित कारण अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर